

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं० 1681
दिनांक 28.11.2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

नल से जल योजना

1681. श्री एस. मुनिस्वामी:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) नल से जल योजना की कार्यान्वयन स्थिति क्या है;
(ख) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की जा रही है; और
(ग) उक्त योजना के लिए कितनी निधि आबंटित की गई है?

उत्तर
राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री रतन लाल कटारिया)

(क) भारत सरकार ने जल जीवन मिशन (जेजेएम) की शुरुआत की है जिसका लक्ष्य वर्ष 2024 तक कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन (एफएचटीसी) के माध्यम से 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन (एलपीसीडी) के सेवा स्तर पर प्रत्येक ग्रामीण परिवार को पीने योग्य जल उपलब्ध कराना है। यथासूचित, दिनांक 21.11.2019 की स्थिति के अनुसार लगभग 18.41 प्रतिशत (3.29 करोड़) ग्रामीण परिवारों के पास नल युक्त जलापूर्ति कनेक्शन उपलब्ध हैं।

(ख) जेजेएम के अंतर्गत, वर्ष 2019-20 के लिए 10,000.66 करोड़ रु. का बजटीय आबंटन किया गया है तथा पात्र राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को पहली किस्त जारी की गई है। इसके अलावा, विभिन्न राज्यों के ग्रामीण जल आपूर्ति प्रभारी मंत्रियों का एक सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था जिसके बाद जेजेएम के विभिन्न पहलुओं तथा इसके कार्यान्वयन के तौर-तरीकों पर चर्चा करने के लिए 5 क्षेत्रीय कार्यशालाएँ आयोजित की गई थीं। साथ ही, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के साथ इन कार्यक्रमों की नियमित समीक्षा भी आयोजित की जाती है।

(ग) इन 5 वर्षों के दौरान जेजेएम का योजनागत परिव्यय 3.60 लाख करोड़ रु. है जिनमें से, केन्द्र सरकार की हिस्सेदारी लगभग 2.08 लाख करोड़ रु. है।